यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण – I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 167/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/275
दायर दिनांक :– 01.07.2025 निर्णय दिनांक :– 22.05.2026

1. सुगनाराम पुत्र अमानाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. आसुराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. केशर पुत्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. गंगा पत्नी रतनाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. घमाराम पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. तेजाराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. पेमी पत्नी तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. पुराराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. बगताराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. मोहनराम पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी चिमाणा तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकश गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी अधिकारें की कब्जा काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 20.2100 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा लूणा पटवार क्षेत्र लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 20.2100 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 का अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपर्वूक चला आ रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी की अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है। प्रार्थी के अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज डालकर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सामलाती है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि को छोड़कर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सामलाती रहते प्रार्थी को काश्त करने में तथा अन्य विकास कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का अपने हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन वर्तमान में जमीनों की किमते अत्यधिक बढ जाने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की नियत खराब हो गई है और वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 आपसी सहमति का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार हो गये है और प्रार्थी द्वारा तैयार की गई उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। अपने इसी नापाक इरादों से दिनांक 21.06.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 ने प्रार्थी के द्वारा तैयार की गई भूमि में आये और प्रार्थी को धमकी दी की हम तुम्होर हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर तुम्हें बेदखल कर देगें। उस दिन तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को समझा बुझा कर वहां से निकाल दिया है। लेकिन जाते हुऐ अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 ने प्रार्थी को धमकी दी कि आईन्दा हम पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नही किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली है जिसका मुकाबला करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम लूणा पटवार हल्का लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 20.2100 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 व 9 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 20.2100 हैक्टेयर स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थी के पिता अमानानाराम द्वारा अपने जीवनकाल में एक मौखिक बंटवाडा कर उक्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हरूराम के बंट में रखी गई थी। हरूराम द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी सं. 8 को बैचान करदी। जवाबदाता के हिस्से की भूमि अन्य खसरा नम्बर 194 की भूमि में हिस्सा दिया गया है और इसी बंटवाडा अनुसार ही प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अवश्य सामलाती दर्ज है लेकिन मौके पर किसी भी हिस्सें पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 व 9 का कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर जवाबदाता का कब्जा व काश्त नहीं है तो जवाबदाता द्वारा प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसलिये जवाबदाता को तंग परेशान करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने काबिल खारिज के है। जवाबदाता अपने नापाक इरादें में सफल होने हेतु लगातार प्रयास कर रहे है का तथ्य सरसर गलत बेबुनियाद होने से अस्वीकार है प्रार्थी का अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रार्थी द्वारा जवाबदाता को तंग परेशान करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया को खारिज किया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम लूणा पटवार हल्का लूणा के खाता संख्या 292 सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है। प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू–भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि कर देने से वादग्रस्त भूमि की प्रकृति एवं राजस्व अभिलेख में परिवर्तन हो सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है, चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम लूणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 201 रकबा 20.2100 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण, आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)